राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 560/2024

वीरेन्द्र सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जैसलमेर।
4. मांगू दान, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, वन सुरक्षा कार्यालय उपवन संरक्षक भीलवाडा से रेंज बाडमेर उपवन संरक्षक बाडमेर हेतु स्थानान्तरणाधीन।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024

आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री मनीष सिंह बारठ, अभिभाषक/केविएटर

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज ईकाई अष्टम उप वन संरक्षक स्टेज द्वितीय जैसलमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज लूणी, उप वन संरक्षक, जोधपुर किया गया है। उनका कथन है कि

आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण भीलवाडा से बाडमेर किया गया जहां पर उसने कार्यग्रहण नहीं किया। परंतु आलोच्य आदेश के द्वारा बाड़मेर से स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुये अपीलार्थी के स्थान समंजित करने के आशय से जैसलमेर पदस्थापित किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का गृह जिला जैसलमेर है फिर भी उसे गृह जिले में ही पदस्थापित किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी वर्ष 2021 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज ईकाई अष्टम उप वन संरक्षक स्टेज द्वितीय जैसलमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी वर्ष 2021 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in*

violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)